[Shri George Fernandes]

tended twice by one month from February 1979 to March 1979 and March 1979 to April 1979. I had explained to them the full background how the matter had initially been raised and the subsequent setting up of the Commission, and also the alternatives open to Government which have been mentioned above.

In the light of these discussions and after considering the relevant issues Government have decided to follow the course of action mentioned at (iii) above. Accordingly Government have accepted the resignation of Justice Shri A K. Sarkar and have issued a notification winding up the Commission from today. Government propose to take over all the records of the Commission including the investigation reports so far completed by it and to forward these to the concerned Ministries/Departments to take further action according to law taking into account the preliminary conclusions/findings arrived at by the Commission in its enquiries.

In conclusion I would like to reiterate that Government's policy towards Large Houses has been fully explained in its Statement on Industrial Policy which was laid before Parliament on 23rd December 1977. In its licensing policy, Government will regulate the activities of the Large Houses to bring them in line with the country's socio-economic goals. It will be the policy of Government to ensure that no unit or business group acquires dominant or monopolistic position in the market. The present industrial activities of the Large Houses will also be scrutinised so that unfair practices arising out of manufacturing inter-linkages are also avoided. In order to ensure social accountability, the financial institutions whose support is vital for setting up and running of large scale enterprises will be expected to assume a more active role in overseeing the activities of units financed by them in order to ensure that management is increasing professionalised and conforms to national priorities.

I am sure that Government can count on the support from all sections of the House in the implementation of this policy.

12.14 hours

MATTERS UNDER RULE 377

(i) SPREADING OF DESERT AREA IN RAJASTHAN

डॉ० हरी राम मक्कासर गोदारा (बीकानेर) : केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र गवेषणा संस्था जोधपुर के वैज्ञानिकों के मतानुसार राजस्थान में रेगिस्तान निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इस रेगिस्तानी क्षेत्र में रेत की मात्रा बढ़ रही है और हाल के कुछ वर्षों में यह भयावह रूप धारण कर गया है। यह स्थिति कितनी भयंकर हो गई है इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि बाड़मेर नगर के उत्तर पूर्व में एक पहाड़ी चालीस वर्ष पहले रेत से पूर्ण मुक्त थी किन्तु अब वह स्थान रेत में दब गया है। बाड़मेर, जालौर और जोधपुर जिलों में पहाड़ियों की आड़ में भारी मात्रा में रेत एकत्र हो रही है। जोधपुर शेरगढ़ मार्ग पर भी रेत का जमाव बढ़ता जा रहा है और अनेक स्थानों पर रेत की टीले बन गये हैं। जोधपुर नगर के चारों ओर रेत की ढेरियां प्रकट होने लगी हैं और प्रति दिन उनका आकार बढ़ रहा है। जोधपुर जैसलमेर राजमार्ग पर रेत की गहनता इतनी विकराल हो गई है और इस मार्ग को रेत ने इतना ढक लिया है कि इसकी दिशा बदलना आवश्यक हो गया है। जैसलमेर से मोम को जाने वाला मार्ग कुछ ही वर्षों में रेतीले टीलों में विलीन हो जाएगा। पोकरण, शेरगढ़ और फ्रोमियान में प्रतिदिन रेत के टीलों का जमघट हो रहा है। बाड़मेर में शिवनीमक स्थान और बीकानेर जिले में छतरगढ़ और मोंक्षा रेत के महासागर में शीघ्र ही अन्तर्ध्यान हो जाएंगे। फीरोजपुर, भटिंडा, हिसार, भिवानी, महेन्द्रगढ़, झुंझुनू, सीकर और नागौर जिलों में भी रेत की मात्रा बढ़ रही है। इन क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों में रेत का घेरा तेज गति से बढ़ रहा है। हमारे देश में रेत के एकत्र होने की गहनता और विस्तृत भूभाग में इसका फैलाव किसी विभीषिका से कम नहीं है। यदि समय पर इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठाए गए तो इसके गम्भीर परिणाम होंगे जिन की कल्पना से हृदय कांप उठता है। मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि इस महत्वपूर्ण समस्या के प्रति सरकार का ध्यान आकृष्ट करूं और इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है उससे सदन को अवगत कराया जाए।